



सराहनीय कार्य जनपद सम्भल पुलिस ।

दिनांक – 07.12.2024

श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद सम्भल श्री कृष्ण कुमार के कुशल निर्देशन में जनपद सम्भल में दिनांक 07.12.2024 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये गये अभियान में निम्नलिखित कार्यवाही की गयी ।

04 वांछित अभियुक्त/अभियुक्ता गिरफ्तार थाना जुनावई-

दिनांक 28.10.2024 को थाना जुनावई पर वादी चरन सिंह पुत्र भारत सिंह निवासी नगलिया देवी थाना जुनावई जनपद सम्भल की तहरीरी सूचना पर अभियुक्तों द्वारा वाद के घर में घुसकर वादी व वादी के पुत्र के साथ गाली गलौज व मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना जुनावई पर मु0अ0सं0 279/2024 धारा 33/115(2)/118(1)/352/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया ।

आज दिनांक 07.12.2024 को थाना जुनावई पर पंजीकृत मु0अ0सं0 279/2024 धारा 109(1)/333/115(2)/118(1)/352/351(3) बीएनएस में वांछित अभियुक्त 1. रामनिवास पुत्र जयपाल, 2. अतरकली पत्नी रामनिवास, 3. उदयप्रताप पुत्र रामनिवास, 4. मुकेश पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम नगलिया देवी थाना जुनावई जनपद सम्भल को ग्राम नगलिया देवी से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. रामनिवास पुत्र जयपाल निवासी ग्राम नगलिया देवी थाना जुनावई जनपद सम्भल,
2. अतरकली पत्नी रामनिवास निवासी ग्राम नगलिया देवी थाना जुनावई जनपद सम्भल,
3. उदयप्रताप पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम नगलिया देवी थाना जुनावई जनपद सम्भल,
4. मुकेश पुत्र प्रकाश निवासी ग्राम नगलिया देवी थाना जुनावई जनपद सम्भल ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सारिक राणा थाना जुनावई जनपद सम्भल,
2. हे0का0 आशुतोष,
3. का0 योगेश कुमार,
4. म0का0 अनीता ।



दिनांक 24.11.2024 को हुई हिंसा में लोगों को पुलिस एवं प्रशासन के विरुद्ध भड़काने वाला फर्जी

पत्रकार गिरफ्तार-

दिनांक 06.12.2024 को उ0नि0 श्री संजीव कुमार को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि असीम रजा जैदी नाम का व्यक्ति दिनांक 24.11.2024 को कस्बा सम्भल में हुई हिंसा के सम्बन्ध में लोगों को बढ़ा-चढ़ा कर गुमराह व उकसा रहा कि अभी भी वक्त है सभी लोग इकट्ठा होकर पुलिस/प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाही का विरोध करें। इस सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति से जानकारी की गयी तो उसके द्वारा बताया गया कि मैं देव केसरी राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में पत्रकार हूँ। जिसकी जानकारी देव केसरी कार्यालय से की गयी तो उनके द्वारा बताया गया कि उक्त व्यक्ति की अवैध रूप से धन वसूली की शिकायत पर करीब दो माह पूर्व निकाल दिया गया है। उक्त व्यक्ति द्वारा फर्जी आईकार्ड बनाकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। जिसके सम्बन्ध में उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर मु0अ0सं0 341/2024 धारा 318(4)/338/336(3)/340 (2) भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:-

1- असीम रजा जैदी पुत्र गुलशन रजा निवासी मौहल्ला कोट गर्बी थाना सम्भल जिला सम्भल जाति जैदी (मुस्लिम) उम्र करीब 26 वर्ष।

अभियुक्त पर पंजीकृत अभियोग:-

1- मु0अ0सं0 341/2024 धारा 318(4), 338,336 (3), 340 (2) BNS थाना कोतवाली सम्भल।

अभियुक्त की गिरफ्तारी का स्थान:-

जामा मस्जिद ढलान तिराहा थाना कोतवाली सम्भल दिनांक 06.12.2024।

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

- 1-श्री अनुज कुमार तोमर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।
- 2- उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।
- 3- आरक्षी प्रदीप कुमार थाना कोतवाली सम्भल जनपद सम्भल।

